पेंशन से संबंधित आरबीआई एफएक्यू

सरकारी पेंशन प्राप्तकर्ताओं को पेंशन के भुगतान

अधिकृत बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन प्राप्तकर्ताओं को पेंशन के भुगतान के लिए योजना।

भारतीय रिजरव बैंक (बैंक) सभी केंद्रीय विभागों और कुछ राय सरकारों के संबंघ में अपनी एंजेसी द्वारा पेंशन के भुगतान की देख रेख करता है। इस प्रक्रिया में, ये एक पेंशन के स्थिरीकरण, गणना और भुगतान से संबंधित पेंशन प्राप्तकर्ताओं के सवाल /शिकायते प्राप्त करता है, जिनमें पेंशन /महंगाई भत्ते में बदलाव, पेंशन खाते का एक बैंक ब्रांच से दूसरी में स्थानांतरण आदि शामिल है। हमने सवालों / शिकायतों का विश्लेषण किया है और उनकों अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। ये आशा की जाती है कि ये पेंशन प्राप्त्कर्ताओं के मन में आने वाले अधिकतर प्रश्नों /संदेहों को दूर कर देंगे।

क्या एक पेंशन प्राप्तकर्ता अपनी पेंशन एक बैंक शाखा से प्राप्त कर सकता / सकती है?

पहले एक कोष या डाक घर से अपनी पेंशन लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के पास अधिकृत बैंक शाखाओं से पेंशन लेने का विकल्प है।

पेंशन की स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी कौन सा हैघ्

वो मंत्रालय/ विभाग /कार्यालय जहाँ सरकारी कर्मचारी ने आखरी बार काम किया था वो पेंशन की स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी है। पेंशन पहली बार इस प्रकार के प्राधिकारी द्वारा तय की जाती है और उसके बाद भुगतान का पुनः स्थिरीकरण, यदि हो तो, संबंधित केंद्रीय / राज्य सरकार प्राधिकारी के निर्देशों पर पेंशन देने वाले बैंक द्वारा किया जाता है।

क्या पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए प्राधिकारी बैंक में अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए एक अलग पेंशन खाता खुलवाना आवश्यक है?

पेंशन प्राप्तकर्ताओं को एक अलग पेंशन खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। पेंशन उसके द्वारा चुनी गई बैंक शाखा में मौजूदा बचत /चालू खाते में आ जाएगी।

क्या एक पेंशन प्राप्तकर्ता अपने पति/पत्नी के साथ एक संयुक्त खाता खोल सकता है?

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सभी पेंशन प्राप्तकर्ता, जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था स्वीकार की है।

क्या पति/ पत्नी के साथ पेंशन प्राप्तकर्ता के संयुंक्त खाते को "पूर्व या उत्तराधिकारी" या "दोनों या उत्तराधिकारी" द्वारा संचालित किया जा सकता है?

पेंशन प्राप्तकर्ता के पति/ पत्नी के साथ संयुक्त खाते को "पूर्व या उत्तराधिकारी" या "दोनों या उत्तराधिकारी" द्वारा संचालित किया जा सकता है।

बैंक में पेंशन खाते में कितनी न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता है?

भारतीय रिजर्व बैंक ने पेंशन प्राप्तकर्ताओं द्वारा पेंशन खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने का निर्देश नहीं दिया है। अन्य बैंकों ने इस संबंध में अपने नियम बनाए हैं। परंतु, कुछ बैंक पेंशन प्राप्तकर्ताओं के खातों में शून्य शेष राशि की भी अनुमति दी है।

अधिकृत बैंक शाखा को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) कौन भेजता है?

मंत्रालय /विभागों/ राज्य सरकारों में संबंधित पेंशन अनुमोदन प्राधिकारी बैंक शाखाओं को पीपीओ भेजते हैं जहाँ से पेंशन प्राप्तकर्ता अपनी पेंशन लेना चाहता/ चाहती है। हालांकि, सीपीपीसी के कार्यान्वयन पर, पेंशन अनुमोदन प्राधिकरण बैंक शाखा की जगह बैंक के सीपीपीसी को भेजने लगे हैं।

देय शाखा द्वारा पेंशन प्राप्तकर्ता के खाते में पेंशन कब भेजता है?

पेंशन देने वाली शाखा की सुविधा के आधार पर पेंशन का भुगतान महीने के अंतिम चार दिनों में किया जाता है, मार्च महीने को छोड़ कर जब पेंशन का भुगतान अप्रैल के पहले कामकाजी दिन पर किया जाता है।

क्या पेंशन प्राप्तकर्ता अपने पेंशन खाते को एक ही बैंक की दूसरी शाखा में या किसी अन्य बैंक की शाखा में स्थानांतरित कर सकता/ सकती है?

1) पेंशन प्राप्तकर्ता अपने पेंशन खाते को उसी केंद्र या किसी अन्य केंद्र में उसी बैंक की अन्य शाखा में स्थानांतरित कर सकता/ सकती है।

2) वो अपने खाते को उसी केंद्र में एक अधिकृत बैंक से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता/ सकती है (ऐसे स्थानांतरण वर्ष में केवल एक बार ही किए जा सकते हैं)।

3) वो अपने खाते को किसी विभिन्न केंद्र में एक अधिकृत बैंक से दूसरे अधिकृत बैंक में भी स्थानांतरित कर सकता/ सकती है।

पीपीओ के किसी और शाखा या बैंक में स्थानांतरण के मामले में पेंशन के भुगतान की क्या प्रक्रिया है?

स्थानांतरण (पुरानी) शाखा में किए गए अंतिम भुगतान की तारीख से स्थानांतरी (नई) शाखा में पेंशन प्राप्तकर्ता के पीपीओ की प्रति के आधार पर तीन महीने की पेंशन का भुगतान किया जाएगा। दोनों शाखाओं (पुरानी और नई) को ये सुनिश्चित करना होगा कि तीन महीने के भीतर स्थानांतरी को सभी अनिवार्य दस्तावेज मिल गए हैं।

क्या पेंशन के प्रारंभ से पहले पहचाने के लिए दस्तावेजों के साथ बैंक की शाखा में उपस्थित होना आवाश्यक है।

पेंशन के प्रारंभ से पहले, एक पेंशन प्राप्तकर्ता को पहचान के लिए भुगतान करने वाली शाखा में उपस्थित होना होगा। भुगतान करने वाली शाखा पेंशन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर या हाथ/ पैर के अंगूठे का नमूना रखेगा।

यदि पेंशन प्राप्तकर्ता विकलांग है और भुगतान करने वाली शाखा में नहीं आ सकता तो बैंक की शाखा किस प्रक्रिया का पालन करती है?

यदि पेंशन प्राप्तकर्ता विकलांग है और शाखा में नहीं आ सकता, तो निजी उपस्थिति की आवश्यकता को हटा दिया जाता है। ऐसे मामलों में, बैंक का अधिकारी पहचान करने और हस्ताक्षर या हाथ/ पैर के अंगूठे का निशान लेने के लिए घर आता है।

क्या पेंशन प्राप्तकर्ता को रिकॉर्ड के पीपीओ के आधे भाग को रखने और बुनियादी पेंशन, महंगाई भत्ते आदि में बदलाव के कारण पेंशन की मात्रा में बदलाव होने पर उसे भुगतान करने वाली शाखा से अपडेट करवाने का अधिकार है?

पेंशन प्राप्तकर्ता को रिकॉर्ड के पीपीओ के आधे भाग को रखने का अधिकार है और बुनियादी पेंशन/ महंगाई भत्ते (डीआर) में बदलावा होने पर भुगतान करने वाली शाखा को पेंशन प्राप्तकर्ता के पीपीओ को मंगवाना होगा और उसके बाद सरकारी आदेश/ अधिसूचनाओं के अनुसार बदल कर पेंशन प्राप्तकर्ताओं को वापस करना होग।

क्या भुगतान करने वाली शाखा को पेंशन भुगतानों का रिकॉर्ड एक निर्दिष्ट फॉर्म में रखना होगा?

पेंशन का भुगतान करने वाली शाखा को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित निर्दिष्ट फॉर्म में समय समय पर उसके द्वारा किए गए पेंशन भुगतानों का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा।

क्या पेंशन का भुगतान करने वाला बैंक पेंशन प्राप्तकर्ता के खाते में डाली गई अतिरिक्त राशि को वापस ले सकता है?

पेंशन का भुगतान करने वाली शाखा पेंशन के आरंभ होने से पहले इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट फॉर्म में पेंशन प्राप्तकर्ता से वचन लेती है और इसलिए, किसी भौतिक जानकारी की प्राप्ति में देरी या किसी गलती के कारण पेंशन प्राप्तकर्ता के खाते को किए गए अतिरिक्त भुगतान को वापस प्राप्त कर सकता है। बैंक के पास उसके कानूनन उत्तराधिकारियों से म्रत पेंशन प्राप्तकर्ता के खाते में डाली गई अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है।

क्या नवम्बर के महीने में एक पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए जीवन प्रमाणपत्र/ बेरोज़गारी प्रमाणपत्र य रोज़गारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है?

पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए प्रत्येक वर्ष नवम्बर के महीने में बैंक को जीवन प्रमाणपत्र/ बेरोज़गारी प्रमाणपत्र या रोज़गारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परंतु, यदि पेंशन प्राप्तकर्ता गंभीर बिमारी/ विकलांगता के कारण एक अधिकृत बैंक अधिकारी से जीवन प्रमाणपत्र नहीं ले पाता, तो बैंक का आधिकार जीवन प्रमाणपत्र का रिकॉर्ड लेने के लिए उनके घर/ अस्पताल जाएगा।

क्या एक पेंशन प्राप्तकर्ता को अपना खाता एक मुख्तारनामा धारक द्वारा संचालित करने की अनुमति है?

उसके खाते को मुख्तारनामा धारक द्वारा संचालित करने की अनुमति नहीं है। परंतु, खाते से धन के स्थानांतरण के लिए चैक बुक सुविधा और निर्देशों का स्वीकार्यता की अनुमति है।

पेंशन भुगतान से स्रोत पर आयकर काटने के लिए कौन जिम्मेदार है?

पेंशन देने वाला बैंक आयकर प्राधिकरारियों द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट दरों के अनुसार पेंशन राशि में से आयकर काटने के लिए जिम्मेदार है। पेंशन राशि से इस प्रकार का कर काटते हुए, भुगतान करने वाले बैंक को आयकर अधिनियम के तहत उपलब्ध पेंशन प्राप्तकर्ता को राहत के खाते पर कटौती की भी अनुमति होती है। भुगतान करने वाली शाखा, हर वर्ष अप्रैल में, पेंशन प्राप्तकर्ता को निर्दिष्ट फॉर्म क्के अनुसार कर कटौती का एक प्रमाणपत्र भी जारी करेगा। यदि पेंशन प्राप्तकर्ता आयकर का भुगतान करने के लिए दायी नहीं है, तो उसे पेंशन देने वाली शाखा को निर्दिष्ट फॉर्म (15एच) में इसके लिए एक घोषणा देनी होगी।

क्या वृद्ध, बिमार, शारीरिक तौर पर विकलांग पेंशन प्राप्तकर्ता, जो कि हस्ताक्षर करने, पेंशन खाता खोलने या पेंशन खाते से धन निकाल सकता है?

पेंशन प्राप्तकर्ता, जो कि वृद्ध, बिमार, या अपने दोनों हाथ खो चुका है और इसलिए हस्ताक्षर नहीं कर सकता, पेंशन खाते को खोलने के लिए फॉर्म पर कोई भी निशान/ पैर के अंगूठे का निशान लगा सकता/ सकती है। पेंशन राशि निकालते समय, वो चैक/ निकासी पर अंगूठे/ पैर के अंगूठे का निशान लगा सकता/ सकती है और उसे बैंक द्वारा पहचाने गए स्वतंत्र गवाहों द्वारा पहचाना जाना चाहिए, जिनमें से बैंक अधिकारी होना चाहिए।

क्या एक पेंशन प्राप्तकर्ता अपने खाते से पेंशन निकाल सकता है जब वो हस्ताक्षर नहीं कर सकता या अंगूठे/ पैर का निशान नहीं लगा सकता है बैंक में उपस्थित नहीं हो सकता है।

ऐसे मामलों में, एक पेंशन प्राप्तकर्ता चैक/ निकासी फॉर्म पर कोई भी निशान लगा सकता है और बैंक को बता सकता है कि उस चैक/ निकासी फॉर्म के आधार पर बैंक से पेंशन की राशि कौन निकालेगा। ऐसे व्यक्ति को दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा पहचाना जाना चाहिए। व्यक्ति जो कि